राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	2047 / 2024 जीवण सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर, राजस्थान। 7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरंदी, कुचामन, नागौर।	18.06.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक	19.06.2024
2.	2048 / 2024 हरी सिंह	1 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर। 3 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर। 4 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 5 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू, राजस्थान। 6 निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर। 7 निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।			
3.	2049 / 2024 महिपाल सिंह	1 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर। 3 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर। 4 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 5 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सीकर, राजस्थान। 6 निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर। 7 निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 8 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोयल खंडेला, सीकर।			
	2050 / 2024 महिपाल सिंह	1 राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।		श्री रविकांत अग्रवाल,	

		2 निदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर। 3 पुलिस आयुक्त, गर्वमेंट होस्टल के पास, जयपुर, राजस्थान। 4 निदेशक, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशन कल्याण राजस्थान, जयपुर।		अभिभाषक	
	2051/2024 त्रिभुवन सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. पुलिस आयुक्त, गर्वमेंट होस्टल के पास, जयपुर, राजस्थान। 3. निदेशक, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशन कल्याण राजस्थान, जयपुर।			
	2052/2024 अर्जुन लाल	1 राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2 निदेशक, निदेशालय, पेंशन एवं पेंशन कल्याण राजस्थान, जयपुर।			

आदेश की दिनांक : 19.06.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2047/2024 जीवण सिंह बनाम प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की जाती है।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलकर्ता को प्रारंभ में वर्ष 1993 में जिला नागौर में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद से दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। (अनुलग्नक–1) अपीलकर्ता 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए विभाग ने पेंशन के संबंध में अपीलकर्ता का विवरण भेज दिया है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका के अनुसार उसे एक वेतन वृद्धि दी गई थी और उत्तरदाताओं ने अपीलार्थी को एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि न देकर भेदभाव किया है और यदि उसे एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि दी

जाती तो उसका वेतन बढ़ा दिया जाता। अपीलकर्ता ने अपनी एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो गया है और इसलिए अपीलकर्ता को एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए और यदि प्रत्यर्थी विभाग एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि देते हैं, तो उसका वेतन बढ़ाया गया था। अपीलकर्ता के ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण सहित सेवानिवृत्ति लाभ जारी कर दिए गए हैं लेकिन अपीलकर्ता को वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और जिसके कारण अपीलकर्ता का वेतन कम हो गया है। सचिव (ई.।।।.ए.), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई.।।। ने सरकार के सचिव को एक पत्र भेजा है। भारत के डी.जी. दिनांक 25.06.2019 को पोस्ट एवं अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड द्वारा उन सरकारी सेवकों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि के संबंध में, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के दिन यानी 30 जून को एक वर्ष पूरा कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि सीसीएस (आरपी) के नियम 10 के अनुसार) नियम, 2008 में वेतन वृद्धि की एक समान तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को लागू किया गया है। 30 जून को एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने के संबंध मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09. 2017 को पारित आदेश में मुद्दा उठा। प्रत्यर्थी विभाग ने उसे काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ इस आधार पर देने से इनकार कर दिया है कि वह वेतन वृद्धि देय होने से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गया था। अपीलार्थी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हकदार है जो 1 जुलाई को देय थी लेकिन उक्त वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं दिया गया है क्योंकि अपीलार्थी एक दिन पहले यानी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अपीलकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले पूरा कर लिया है, इसलिए वह 1 जुलाई को मिलने वाली अनुमानित वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है। अपीलार्थी की वेतन वृद्धि को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि जब वेतन वृद्धि देय हुई तो अगले दिन अपीलार्थी सेवा में नहीं थे। पी.अय्यम्पेरुमल (सुप्रा) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार कर्मचारियों ने 30 जून को सेवा का एक पूरा वर्ष पूरा कर लिया है, तो एक वर्ष की पूर्ण सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। पी. अय्यम्पेरुमल (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम निर्णय प्राप्त हुआ। इसके बाद, गोपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, पी.पी. के मामले में इलाहाबाद उच्च

न्यायालय द्वारा इस निर्णय का पालन किया गया। पांडे बनाम. यूपी राज्य (2021) आईएलआर 1 ऑल में रिपोर्ट किया गया। 882 और नंद विजय सिंह (सुप्रा) के मामले में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (सुप्रा) के मामले में और सी.पी. के मामले में सभी उच्च न्यायालयों के लगभग प्रत्येक निर्णय पर विचार किया है। इसी तरह के विवाद का फैसला माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अर्जुन लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में पहले ही किया जा चुका है। एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 12198/2023 के मामले में दिनांक 23.08.2023 के आदेश के आलोक में 21/2020 विजय सिंह बनाम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलकर्ता को 30 जून को सेवानिवृत्त या एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कराया जावे जो उन्होंने सेवानिवृत्ति की तिथी से एक वर्ष पहले एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के लिए अपनी सेवा के अंतिम दिन अर्जित की थी तथा प्रत्यर्थी विभाग को एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि देने और अपीलकर्ता की पेंशन को दोबारा तय करने के निर्देश दिये जाए।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2047/2024 जीवण सिंह बनाम प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)